2023 का विधेयक संख्यांक [7]

[दि गर्वनमेंट आफ यूनियन टेरिटरिज (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1963 का 20

नई धारा 3क और धारा 3ख का अंत:स्थापन ।

2. संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ।

"3क. (1) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित हैं), ऐसी रीति में, जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना ।

3ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(2) धारा 3क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का ऐसी तारीख तक, जो संसद् विधि द्वारा, अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा ।

(3) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम ऐसे पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात् उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) धारा 3क की कोई बात पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संसद् ने संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023, लोक सभा ; प्रत्येक राज्य की विधान सभा ; और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कुल स्थानों के एक-तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अधिनियमित किया है ।

2. संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के परिणामस्वरूप पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का समान उपबंध करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का संसद् द्वारा संशोधन करना भी अपेक्षित है ।

3. पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया में लोक प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं का वृहत प्रतिनिधित्व और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है, जिससे पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध किया जा सके ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 दिसंबर, 2023

अमित शाह